

दिनांक:—21.10.2019

उपर्युक्त निवेदन के आधार पर अस्थायी निषेधाज्ञा के 3 बिन्दू प्रार्थीया के विरूद्ध निर्णित किये जाते हैं।
अतः अस्थायी निषेधाज्ञा दिनांक 03.05.2019 खारिज की जाती है। निर्णय आज खुले न्यायालय में सुनाया गया पत्रावली फैसल शुमार नम्बर से कम की जाकर दाखिल दफतर हो।

